संख्या- 50/2026/532/छप्पन-2026-56-1009(003)/1/2022

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2026

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर AW139 पर कै० विक्रम सिंह पुन्डीर, पायलट (रोटर विंग) की रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराए जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45/ना0उ0नि0/आप्स-75/2016, दिनांक 12 मई, 2026 एवं पत्र संख्या 46/ना0उ0नि0/आप्स-75/2016 दिनांक 18 मई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय हेलीकाप्टर AW139 पर कै० विक्रम सिंह पुन्डीर, पायलट (रोटर विंग) की M/s Abu Dhabi Aviation Training Center, Abu Dhabi में विषयगत अनिवार्य प्रशिक्षण दिनांक 15 जून, 2026 से 22 जून, 2026 (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) तक दिलाये जाने के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क USD 14,700.00 भारतीय मुद्रा में रू0 95.00 प्रति USD की विनिमय दर से रू0 13,96,500.00 (रूपये तेरह लाख छियान्बे हजार पाँच सौ मात्र) प्रशिक्षण शुल्क तथा वायुयान किराये, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क तथा यात्रा भत्ता के मद में अनुमानित आगणित धनराशि रू0 3,68,400.00 की स्वीकृति प्रदान करते हुए यात्रा व्यय हेतु आगणित धनराशि के सापेक्ष 75% प्रतिशत यात्रा अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 276,300.00 श्री पुण्डीर को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल धनराशि 17,64,900.00 (रूपये सत्रह लाख चौसठ हजार नौ सौ मात्र) (प्रशिक्षण धनराशि रू0 13,96,500.00 + यात्रा भत्ता के मद में अनुमानित आगणित धनराशि रू0 3,68,400.00) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रांसगिक व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

6- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

संख्या-50/2026/532(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित पायलट/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।